



समाजवादी आवास योजना

पूरा करें अपने घर का सपना

प्रदेश सरकार देगी सामान्य नागरिकों को सस्ते घर का उपहार



श्री अखिलेश यादव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

“आम्रपाली एन्क्लेव”

आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ

पंजीकरण
02 मई से
02 जून 2015
तक

पंजीकरण
पुस्तिका
2015



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.com>, E-mail : upavp@sancharnet.in

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित



आम्रपाली एन्क्लेव

विशेष आकर्षण:

- आकर्षण लैण्डस्केप, पार्क एवं हरित क्षेत्र का वृहद आवासीय परिसर।
- भूकम्परोधी निर्माण
- 24 मीटर एवं 18 मीटर चौड़ी सड़कों से घिरा हुआ आवासीय परिसर।
- सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के दृष्टिगत बाउन्ड्रीवाल का प्राविधान।
- सामान्य सेवाओं हेतु पावर बैकअप का प्राविधान।
- आवासीय परिसर में लिफ्ट, फायर सेफ्टी, आकर्षक कम्युनिटी सेंटर एवं व्यावसायिक सुविधाओं का प्राविधान।



LOCATION PLAN



AMRAPALI YOJNA LUCKNOW

- LEGEND**
- 1 ENTRY/EXIT
 - 2 LANDSCAPED GREEN
 - 3 SURFACE PARKING
 - 4 COMMUNITY CENTRE
 - 5 POWER CONTROL CENTRE
 - 6 RAMPS TO BASEMENT
 - 7 U.G.R.
 - 8 GUARD ROOM



BLOCK-A 1BHK
BLOCK-B,C & D 2BHK
BLOCK-E, F & G 2BHK+6

LAYOUT PLAN

आम्रपाली एन्क्लेव







1BHK Type- A

TOILET, WC, 2 BALCONIES

CARPET AREA- 26.70 SQ.M.

COVERED AREA- 36.48 SQ.M.

SUPER AREA - 44.86 SQ.M.




CLUSTER PLAN



UNIT PLAN
1BHK 1 TOILET, W.C.,
2 BALCONIES

CARPET AREA- 28.70 SQ.M.
COVERED AREA- 36.48 SQ.M.
SUPER AREA- 44.86 SQ.M.




ISOMETRIC VIEW



1BHK Type- B

TOILET, WC, 2 BALCONIES
CARPET AREA- 37.15 SQ.M.
COVERED AREA- 46.64 SQ.M.
SUPER AREA - 55.02 SQ.M.




CLUSTER PLAN



UNIT PLAN

1BHK Type B
1BHK Store, 1 Toilet,
W.C., 2 BALCONIES
CARPET AREA- 37.15 SQ.M
COVERED AREA- 46.64 SQ.M
SUPER AREA 55.02 SQ.M



ISOMETRIC VIEW



2BHK Type A

2BHK, STORE, 2 TOILET,
3 BALCONIES,
CARPET AREA- 61.44 SQ.M.
COVERED AREA- 77.90 SQ.M.
SUPER AREA- 89.75 SQ.M.




CLUSTER PLAN



UNIT PLAN

2BHK, STORE, 2 TOILET,
3 BALCONIES,
CARPET AREA- 61.44 SQ.M.
COVERED AREA- 77.90SQ.M.
SUPER AREA- 89.75 SQ.M.



ISOMETRIC VIEW



2BHK Type B

2BHK, 2 TOILET, 3 BALCONIES, STUDY
CARPET AREA- 66.26 SQ.M.
COVERED AREA- 83.75 SQ.M.
SUPER AREA- 97.75 SQ.M.



CLUSTER PLAN



UNIT PLAN

**2BHK, 2 TOILET, 3 BALCONIES,
CARPET AREA- 66.26 SQ.M.
COVERED AREA- 83.75 SQ.M.
SUPER AREA- 97.75 SQ.M.**



ISOMETRIC VIEW



, d i f j p ;

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् का गठन परिषद् अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

उद्देश्य:—

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र / राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।



- (प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।
- (फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे- विद्युत-आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके।

परिषद जन सधारण की आवश्यकताओं को पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये इच्छुक पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी प्रणाली द्वारा अथवा कम्प्यूटर के माध्यम से स्यूडो रैंडम प्रणाली से निर्धारित पात्रता सूची के आधार पर किया जायेगा।

परियोजना का विवरण

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा आम्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ में एफोर्डेबल हाउसिंग के अर्न्तगत "समाजवादी आवास योजना- 2015" के अधीन आम्रपाली एन्क्लेव के नाम से बहुमजिली आवसीय परियोजना में 1BHK एवं 2BHK के कुल 1044 फ्लैट्स का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परियोजनाओं के अर्न्तगत प्रस्तावित फ्लैट्स विवरण, पंजीकरण मूल्य एवं विशिष्टियां निम्नवत् हैं:

1. फ्लैट्स का विवरण

क्र.सं.	फ्लैट्स का प्रकार	फ्लैट्स की संख्या	फ्लैट्स की मंजिलें	सुपर एरिया प्रति फ्लैट्स वर्ग मी० में	कार्पेट एरिया वर्ग मी० में	प्राविधान
1	1BHK Type-A	180	S + 12	44.86	26.70	1 लिविंग रूम/डाइनिंग रूम, 1 बेडरूम, 1 बाथरूम, 1 कम्प्यू.सी., 2 बालकनी, 1 किचन
2	1BHK Type-B	288	S + 12	55.02	37.15	1 लिविंग रूम/डाइनिंग रूम, 1 बेडरूम, 1 बाथरूम, 1 कम्प्यू.सी., 2 बालकनी, 1 किचन
3	2BHK Type-A	372	B+S+12	89.75	61.44	1 लिविंग रूम/ डाइनिंग रूम, 2 बेडरूम, 2 ट्वायलेट, 3 बालकनी, 1 किचन
4	2BHK Type-B	204	B+S+12	97.75	66.26	1 लिविंग रूम/डाइनिंग रूम, स्टडी रूम 2 बेडरूम, 2 ट्वायलेट, 3 बालकनी, 1 किचन

नोट:- पंजीकरण धनराशि हेतु बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद" के नाम जो लखनऊ शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिये।



उपलब्ध फ्लैटों का विवरण

सम्पत्ति का विवरण						03 वर्ष में त्रैमासिक किरतों में भुगतान विवरण			
क्र. सं.	फ्लैट का प्रकार	मंजिले	फ्लैट्स की संख्या	कारपेट क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	सुपर एरिया (वर्गमीटर)	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	पंजीकरण घनराशि (₹ लाख में)	चयन के परचास मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय घनराशि (₹ लाख में)	अवशेष भुगतान 11 तिमाही किरतों में (प्रत्येक किरत की घनराशि लाख में)
1.	1BHK (Type A)	S+12	180	26.70	44.86	13.50	0.68	1.38	1.04
2.	1BHK (Type B)	S+12	288	37.15	55.02	16.55	0.83	1.75	1.27
3.	2BHK (Type A)	B+S+12	372	61.44	89.75	27.00	1.35	2.68	2.09
4.	2BHK (Type B)	B+S+12	204	66.26	97.75	29.45	1.48	3.00	2.27

फ्लैट की विशिष्टियाँ

विशिष्टियों का विवरण	समाजवादी आवासीय योजना-2015 1BHK + 2 BHK TYPE फ्लैट्स
फ्लैट्स के निर्माण की पद्धति	फ्रेम स्ट्रक्चर/शियरवाल पद्धति
फर्श	
कमरे	सेरेमिक टाइल
किचन	फर्श में एन्टी स्किड सेरेमिक टाइल्स , कुकिंग, प्लेटफार्म पर ग्रीन मार्बल, दिवारों पर कुकिंग प्लेटफार्म से 0.80 मी. ऊंचाई तक सेरेमिक टाइल।



विशिष्टियों का विवरण	समाजवादी आवासीय योजना-2015
दवायलेट/बाथरूम	फर्श में ऐन्टी स्किड सेरेमिक एवं दिवारों पर 1.50 मी. ऊंचाई तक सेरेमिक टाइल्स।
डब्ल्यू.सी.	फर्श में ऐन्टी स्किड सेरेमिक एवं दिवारों पर 0.90 मी. ऊंचाई तक सेरेमिक टाइल्स।
कामन एरिया	ऐन्टी स्किड सेरेमिक टाइल
स्टेयर केस	कोटा स्टोन फ्लोरिंग
डोर फ्रेम	बाहरी दरवाजे-एम.एस. एंगल आयरन (डबल पताम) व शेष एम.एस. एंगल आयरन (सिंगल पताम)
विन्डो फ्रेम व विन्डो शटर	एनोडाइज्ड एल्युमिनियम विन्डो फ्रेम एवं शटर विद प्लेन ग्लास
डोर शटर	फलश डोर शटर
डोर एवं विन्डो फिटिंग्स	आई.एस.आई. मार्क एल्युमिनियम फिटिंग्स
आन्तरिक जलापूर्ति	यू.पी.वी.सी. पाइप, सी.पी. फिटिंग्स, किचन में स्टेनलेस स्टील सिंक
आन्तरिक सेनेटरी कार्य	प्रथम दवायलेट में उड़ीसा पैन (लो लेवल पी.वी.सी. सिस्टर्न के साथ), द्वितीय दवायलेट की दशा में यूरोपियन शीट (लो लेवल पी.वी.सी. सिस्टर्न के साथ)
विद्युत कार्य	आई.एस.आई. मार्क अग्निरोधक कॉपर वायरिंग पियानो टाइप स्विच एवं फलश टाइप साकेट के साथ।
फिनिशिंग	बाहरी सतह पर वेदर कोट फिनिश, आन्तरिक सतह पर ऑयल बाउण्ड डिस्टेम्पर दरवाजों पर एनामिल पेन्ट।



प्राविधान/शर्तें:

1. उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। उक्त निर्माण 30 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अंतिम मूल्य देय होगा। अतः नियत किशतों की धनराशि घट-बढ़ सकती है। सम्पत्ति के वर्तमान में निर्धारित अनुमानित मूल्य में विभिन्न कारणों यथा-भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने पर पूर्व निर्धारित मूल्य में बढ़ोत्तरी सम्भव है।
2. भवनों की टाइप डिजाइन व ले आउट में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।
3. प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल के आवंटियों से लोकेशन चार्ज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः 3, 2 व 1 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य लिया जाना प्रस्तावित है।
4. आवंटियों को बेसमेंट पार्किंग रू0 1,75 लाख कवर्ड स्टिपल्ड कार पार्किंग, रू0 2.00 लाख एवं ओपेन कार पार्किंग हेतु रू0 1.00 लाख अतिरिक्त देय होगा। पार्किंग का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जायेगा। अतिरिक्त पार्किंग की सुविधा उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त निर्धारित मूल्यों पर देय होगी।
5. फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को कॉर्पस फण्ड में फ्लैट के विक्रय मूल्य का 5 प्रतिशत भौतिक कब्जा से पूर्व देय होगी। इन्क्लेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से दो वर्ष के बाद अनुरक्षण कार्य आवंटियों की उपरोक्त कॉर्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित आवंटियों की वेलफेयर सोसाइटी को हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात समिति को अनुरक्षण अपने श्रोतों से करना होगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
6. परिसर का रखरखाव प्रथम कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक किया जाना प्रस्तावित है उसके उपरांत "रेजीडेंट वेलफेयर सोसाइटी" द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
7. सामान्य सेवाओं जैसे लिफ्ट आपरेशन, जनरेटर, कैम्पस लाइट, सिक्योरिटी गार्ड, ट्यूबवेल आपरेशन, कम्युनिटी सेन्टर की देखरेख, सफाई विद्युत बिल आदि के रखरखाव हेतु फ्लैट आवंटी को कब्जा प्राप्त तिथि से दो वर्ष तक रू0 1.25 प्रतिवर्ग फिट (सुपर एरिया) की दर से रखरखाव शुल्क अतिरिक्त देना होगा। जिसे बाद में परिषद/सोसाइटी को कम या अधिक करने का अधिकार होगा।



8. परिसर हेतु बाउन्ड्रीवाल का प्राविधान किया गया है। इस परिसर में एक मल्टीपरपज हाल/कम्युनिटी सेन्टर बनाया प्रस्तावित है। जिसकी लागत उक्त मूल्य में सम्मिलित है।
9. राज्य/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्राविधानिक विभिन्न प्रकार के टैक्स यथा-वैट, सर्विस टैक्स, लेवर सेस आदि, रजिस्ट्री व्यय तथा भविष्य में उक्त टैक्सों की दरों में परिवर्तन होने की दशा में अन्तर धनराशि, आवंटी द्वारा वहन की जायेगी।

पंजीकरण हेतु पात्रता:

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।
- 3.3 स्व वित्त पोषित फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

पंजीयन के नियम:

- 4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें।
- 4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमत्त है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड वाउचर पर आवेदन सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय आम्रपाली योजना लखनऊ में आवेदन करने पर नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जाएगी। ऐसे निरस्त पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा।



- 4.5 यदि कोई आवेदक पात्र चयनित हो जाता है तो मांग पत्र निर्गमन तिथि से तीन माह के अन्दर अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किंतु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड वाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय आम्रपाली योजना, लखनऊ में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित करने के लिए किसी प्रकार का दावा मान्य/स्वीकार नहीं होगा।
- 4.6 फ्लैट्स निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अन्तिम निर्धारित किश्त जमा करने के 6 माह बाद तक भी परिषद फ्लैट्स आवंटित नहीं कर पाता है तो आवंटी की जमा धनराशि अन्तिम किश्त जमा करने के आगामी माह से, धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक, परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज अथवा परिषद द्वारा निर्धारित ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।
- 4.7 यदि किन्ही कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों/आवंटियों की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किंतु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।
- 4.8 इस योजना के अर्न्तगत आवेदक को परिषद फ्लैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को फ्लैट्स आवंटित नहीं हो पाते हैं तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

भुगतान का तरीका:

(3 वर्षों में त्रैमासिक किश्तों में भुगतान)

1. भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में निर्धारित बैंक शाखा में जमा करना है तथा शेष धनराशि 11 त्रैमासिक किश्तों में देय



- होगी। समस्त भुगतान बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के माध्यम से ही स्वीकार होगा।
2. फ्लैट के निर्माणाधीन अवस्था में लाटरी से आवेदक को फ्लैट का नम्बर आवंटित किया जायेगा।
 3. मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किये जाने पर किश्त की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद नियमानुसार 13.5 प्रतिशत की दर से पूर्ण माह का ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किश्तों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
 4. आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
 5. नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त / कर / शुल्क गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
 6. पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट बैंकर्स चेक 'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद' / "UPAVP" के नाम जो लखनऊ में देय हो के पक्ष में होना चाहिए।
उक्त ड्राफ्ट मांग-पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, फ्लैट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खाते में जमा करना होगा।



आवंटन नियम:

- 6.1 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता झा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
- 6.3 योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध फ्लैट की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की पर्चियों को श्रेणीवार एक साथ डालकर लाटरी द्वारा फ्लैट की उपलब्धता की सीमा तक पात्रता निर्धारित की जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।
- 6.4 समस्त चयनित आवेदक/पात्र समान होंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार आवेदकों का चयन हो जाने के उपरान्त लाटरी पद्धति से नीचे से ऊपर उर्ध्व रूप से ही फ्लैट की संख्या का आवंटन किया जायेगा। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग में एक साथ रहने के आधार फ्लैट्स की उपलब्धता की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। चार आवेदकों की सीमा तक की ग्रुपिंग मान्य होगी।
- 6.5 ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी तथा उसके आने पर यथा सम्भव पूर्ण ग्रुप को एक ही तल पर साथ-साथ समायोजित किया जायेगा। लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 6.6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों एवं आवंटनी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
- 6.7 पात्रता चयन के पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें निर्धारित तिथि के पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो उसका निराकरण सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, आम्रपाली योजना, लखनऊ से सम्पर्क करके किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन के समय एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

आरक्षण

प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के फॉर्मेट्स में आरक्षण शासन/परिषद् के अनुसार प्रमाणी होगा, जो वर्तमान में निम्नानुसार है।

क्र. सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायतें तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1.	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना है।
2.	अनुसूचित जनजाति	2	-तदैव-
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	-तदैव-
4.	विधायक/सांसद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है। (ब) समुचित प्रमाण-पत्र
6.	सरकारी सेवाओं तथा सुस्ता सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
8.	उपग्राम आवास एवं विकास परिषद्, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/रक्षक अधिकारी का प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न करना है। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हो।
7.	वर्तमान सैनिक, मृतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर संलग्न करना है।
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है।
9.	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित बन्धन तिथि तक 60 वर्ष अथवा क्या निर्धारित उम्रसे अधिक की आयु पूर्ण होने के आसार पर)	10	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण-पत्र अथवा वैद्यनिक प्रमाण-पत्र
10.	परिषद योजना द्वारा उसी योजना में दिस्थापित व्यक्ति	कोई निश्चित प्रतिशत नहीं (अधिकतम 10 प्रतिशत)	पंजीकरण दौर के बाक्युद आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता, सम्मानित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी एवं उपग्राम विकास परिषद से निर्धारित प्रमाण-पत्र, संलग्न करने पर दिस्थापित को ही जायेगी अथवा परिषद द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल का मुख्यांक/भवन विद्या जायेगा अथवा क्या निर्धारित बांझित श्रेणी की एक सम्पत्ति आवंटित की जायेगी।

नोट:- 1. उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवंटन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 10 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 08 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हॉरिजेन्टल रूप से किया जायेगा।



हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा-

7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक आरक्षण कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्र से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2 उ0प्र0 के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण के पात्र नहीं माने जायेंगे।

भूमि विस्थापितों के लिए प्राविधान-

भूमि विस्थापितों को शासनादेश/परिषदादेशों के अनुरूप वशियता देय होगी भूमि विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/भवन को परिषद द्वारा उस योजना हेतु अधिग्रहीत किया गया है। इस हेतु सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति अधिकारी) का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी:

8.1 पात्रता चयन के पश्चात असफल आवेदकों को दो माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे आवेदक के खाते में वापस कर दी जायेगी।

फ्लैट्स का भौतिक कब्जा

9.1 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 30 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

9.2 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन/सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।

9.3 'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद' द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रु 50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर 'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद' को फ्लैट्स का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

तथ्यों का छिपाना:

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार 'उपरोक्त आवास एवं विकास परिषद' में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

अन्य महत्त्वपूर्ण सूचना/शर्तें:

- 11.1 योजना आवासीय है। अतः प्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को प्लैट में किसी प्रकार का निर्माण का परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश, निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।
- 11.2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- 11.3 यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित प्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण/प्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र इन्डेमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 11.4 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अंतिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।
- 11.5 पुस्तिका में असमावेष्टित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 11.6 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित प्लैट्स के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 11.7 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
- 11.8 प्लैट्स का अन्तिम मूल्य परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जायेगा। प्लैट्स के सूचित अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।

आप्रपाली एन्कलेव आप्रपाली योजना, हरदोई रोड में समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत बैंक शाखाओं के नाम व पते जहाँ से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन पत्र (पंजीकरण धनराशि सहित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

**पंजीकरण 02 मई, 2015 से प्रारम्भ
पंजीकरण आवेदन जमा करने हेतु अन्तिम तिथि 02 जून 2015**

बैंक का नाम	पता	सम्बन्धित अधिकारी	सूत्रभाष नं०
1 इलाहाबाद बैंक	नोडल ब्रान्च, बालागंज, हरदोई रोड, लखनऊ।	श्री टी. के. विश्नोई	0522-2405508 मो: 9415192183
2 इलाहाबाद बैंक	मेन ब्रान्च, हजरतगंज, लखनऊ।	श्री विनोद दीक्षित	0522-2288859 मो: 9415150960
3 इलाहाबाद बैंक	स्टाफ कालेज ब्रान्च, सैटर-21, रिंग रोड इन्दिरा नगर, लखनऊ।	श्री पवन कुमार सक्सेना	0522-27177081 मो: 9984882914
4 इलाहाबाद बैंक	अमीनाबाद ब्रान्च, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ।	श्री महेन्द्र बाजपेई	0522-2615599 मो: 8858984679
5 पंजाब नेशनल बैंक	एच.ए.एल. ब्रान्च, लखनऊ।	श्री संजय कुमार	मो: 9838568000

आप्रपाली योजना, हरदोई रोड, लखनऊ में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत “समाजवादी आवास योजना-2015” के अधीन “आप्रपाली इन्क्लेव” में प्रस्तावित बहुमंजिले फ्लैट्स के आन-लाइन रजिस्ट्रेशन हेतु

आवश्यक दिशा-निर्देश

उक्त योजनान्तर्गत बहुमंजिले फ्लैट्स के ऑन-लाइन पंजीकरण (Online Registration) द्वारा आवेदन करने के क्रम में निम्नलिखित दो चरणों (Two Steps) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जायेगा :-

प्रथम चरण (Step-1):

आन-लाइन पंजीकरण (Registerig Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

1. आन-लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदन सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.com पर जाकर मुख्यपृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration For Flat पर क्लिक करना होगा।



2. इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "Amrapali Enclave Amrapali Yojana Hardoi Road, Lucknow" पर क्लिक करना होगा।
3. आवेदक द्वारा संबंधित योजना/फ्लैट्स की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर "Apply Online" लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
4. तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, इच्छित फ्लैट्स आदि विवरण ऑन-लाईन फीड किये जायेंगे।
5. उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा "Submit" बटन पर क्लिक किया जायेगा।
6. "Submit" करने के उपरान्त आवेदक द्वारा "Confirm" करने की दशा में उसे अपने ऑन-लाईन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईडी/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
7. उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'चुपदज' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
8. आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट-आउट में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घण्टे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदक शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी :-
 - ✓ Visit website www.upavp.com & click on link "Online Registration of Flats"
 - ✓ Click on link "Registration Fee Payment" of concerning scheme's webpage.
 - ✓ Select payment category as 'Registration' and provide Registration ID, then click on 'Submit' button.
 - ✓ Provide the required necessary details & click 'Submit'.
 - ✓ After clicking on 'Confirm' button 'State Bank MOPS*' webpage will be available.
 - ✓ Applicant can choose anyone available option for making payment.
9. उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा परिषद खाते में धनराशि अंतरित होने की दशा में, आवेदक को Journal No./State Bank Collect Reference No./Transaction ID प्रदान किया जायेगा।
(नोट-डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "U.P. Avas Evam Vikas Parishad" के पक्ष में जो कि लखनऊ शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिए।)
*MOPS: Multi Option Payment System

द्वितीय चरण (Step-2):

अंतिम रूप से आन-लाईन फार्म जमा करना (Finally Online Form Submission)

- आवेदक द्वारा प्रथम चरणानुसार (Step-1) पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के 24 घण्टे/पंजीकरण धनराशि परिषद खाते में अंतरित होने के उपरान्त पुनः परिषद वेबसाइट www.upavp.com के लिंक **Online Registration For Flats** पर जोकर संबंधित योजना के वेबपेज पर उपलब्ध लिंक '**Submit Application Details**' पर क्लिक किया जायेगा।
- **Login Panel** के अंतर्गत आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड एवं **Journal No./Reference No./Transaction ID** भरकर अपना आन-लाईन फार्म खोला जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने ऑन-लाईन आवेदन फार्म में अपना **Scanned** कलर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अन्य आवश्यक सूचनायें दर्ज की जायेगी।
- तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपना आन-लाईन पंजीकरण फार्म **Recheck** करते हुए '**Submit**' करना होगा।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म **Finally Submit** कर अपने आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट दो प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा।
- तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों (फोटो आईडी प्रमाण, निवास प्रमाणपत्र, जाति/आरक्षण प्रमाणपत्र, नोटरी शपथ पत्र आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे :-

“सम्पत्ति प्रबंधक”

कार्यालय आम्रपाली योजना,

‘उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद’,

आफिस कॉम्प्लेक्स- आम्रपाली योजना,

ई-5/29-30, निकट शाहीद पार्क हरदोई रोड,

लखनऊ (उ०प्र०)

नोट:-

उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क ₹० 300/- देकर प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ से भी प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंक में ही जमा होंगे।

आवेदन - पत्र में भरने के लिए निर्देश

1. आवेदन-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले बाल प्वाइन्ट पेन से भरा जाये।
2. आवेदन पत्र के नाम (क्रमांक 4 एवं 5 का) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जाये।
3. अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनायें भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लॉक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में (BLOCK LETTERS) में भरें हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
4. आवेदक केवल भारतीय अंकों के अन्तराष्ट्रीय रूप का प्रयोग करें। जैसे - 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
5. आवेदक को पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथा स्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किया जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग फोटोग्राफ पर व आधा भाग आवेदन पत्र पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा।
6. एक ब्लॉक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
7. नाम व पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लॉक अवश्य छोड़े।
8. आवेदन पत्र में बिन्दु-6 पर अंकित लिंग (Sex) कालम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें।
9. सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण से 1BHK एवं 2BHK में किसी एक को भरना होगा।
10. आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित "आरक्षण" नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

हारिजेन्टल आरक्षण	कोड सं०
वर्तमान विधायक, सांसद, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका।	B
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वरिष्ठ नागरिक (वृद्धजन)	O
विस्थापित	W
आरक्षण श्रेणी	कोड सं०
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
(अनारक्षित) सामान्य वर्ग	04

शहर	कोड
लखनऊ	077
योजना	कोड
आम्रपाली योजना	014
सम्पत्ति श्रेणी	कोड
1BHK (Type-A)	1 A
1BHK (Type-B)	1 B
2BHK (Type-A)	2 A
2BHK (Type-B)	2 B
लिंग	कोड
स्त्री	
पुरुष	
संयुक्त आवेदन की स्थिति में	
भुगतान	कोड
नगद	01
किश्त	02

योजना के क्रियान्वयन की जानकारी हेतु निम्न कार्यालय कार्य दिवस/समय

पर निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं

श्री ओंकार सिंह जोहरी
सम्पत्ति प्रबंधक
मो०: 8795810098

श्री रमेश मिश्र
अधिसासी अभियंता
मो०: 8795810058

श्री एस० के० रायतानी
अधीक्षण अभियंता
मो०: 8795810045

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहां जहां वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

आवेदक का परिवार:-

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

आय-

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त स्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय सम्मिलित होगी।

भूखण्ड/भवन-

“भवन या मकान” शब्द में : “फ्लैट” भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति-

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन, फ्लैट अथवा भूखण्ड से है।

घरण (पंजीकरण का खुलना)-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। घरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न घरणों के लिए भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण घरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य-

उपग्रह राज्य की सेवा में तथा उपग्रह राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

विस्थापित व्यक्ति-

विस्थापित व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी भूमि/भवन परिषद द्वारा उस योजना में अधिगृहीत की गयी हो।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है-

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।
- (2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इन्डिपैन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण अनुमान्य नहीं होगा।



सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य-

सेवारत / सेवा निवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य
उपरोक्त शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली
जातियों से है।

अनुसूचित / अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य-

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य
शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों
से है।

अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य

उपरोक्त (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण
अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की
अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की
अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग
की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का
लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा
प्रमाणित नेत्रहीन / विकलांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है
जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।
**विकास प्राधिकरण / जल संस्थान / नगर
महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का
तात्पर्य-**

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी
भर्ती से नियुक्त हों।

**रू. 10/- के स्टैम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित)
समक्ष उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद**

शपथ-पत्र

मैं श्री / श्रीमती / कुमारी _____ उम्र _____ वर्ष
पुत्र / पुत्री / पत्नी _____ निवासी _____

शपथपूर्वक बयान करता / करती हूँ:

1. मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों, दशाओं विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इसके पालन का वचन देता / देती हूँ।
2. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये मैं आवेदन कर रहा / रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति / पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड / भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड / भवन आवंटित हो जाता है या क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना मैं तुरन्त परिषद मुख्यालय को दूंगा / दूंगी।
3. मेरे या मेरे परिवार के नाम उत्तर प्रदेश के किसी नगर में एक से अधिक भूखण्ड / भवन नहीं है।
4. मैं शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष _____ मैं (पंजीकरण मरते समय की तिथि के पूर्व के वर्ष का उल्लेख करें) समस्त स्रोतों से मेरी कुल वार्षिक आय (रु० _____) थी जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित संबंधियों की आय सम्मिलित है।
5. मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि धारा 1 से 4 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे द्वारा कोई असत्य विवरण जान-बूझकर परिषद को दिया गया है तो परिषद को मेरे विरुद्ध जो उपयुक्त समझें, कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
6. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने अथवा मेरे पति / पत्नी तथा आश्रित बच्चे ने पहले परिषद की किसी भी योजना के अर्न्तगत मेरे आवेदन पत्र में उल्लिखित नगर के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन नहीं किया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से क्रमांक 6 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

परिषद का दृष्टि वक्तव्य

VISION

Statement

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सम्पूर्ण आवास की समस्याओं का समाधान, सम्पदा विकास एवं पर्यावरण संरक्षित आवासीय एवं लघु व्यवसायिक टाउनशिप तथा शैक्षिक पार्क्स को विकसित करते हुए विश्व स्तर पर सम्मानित एवं विख्यात संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाने का प्रयास करेगी।

उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में परिषद ग्राहकों के हित का सर्वोच्च प्राथमिकता हितग्राहियों के लिए न्यायोचित लाभ सुनिश्चित करेगी तथा आपने कार्यक्षेत्र के सभी आयामों में पूर्ण गुणवत्ता रखेगी।

Disclaimer: This broucher is purely conceptual & is not a legal offering. All layouts, specifications, photographs are tentative & subject to variation as per site conditions. Furnitures/Fittings/Fixings shown in plans & isometric view are purely indicatvie.



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

IS 15700:2005

U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD



सेवोत्तम प्रमाणित

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.com>, E-mail : upavp@sanchamet.in

मूल्य रु० 300/- पैट चकित
(रु० 285.70 रु० 14.30 पैट)